

15/11/2017

Prakash Chandra Joshi
स्टाम्प विक्रेता
ID No Uk1239804
Rs



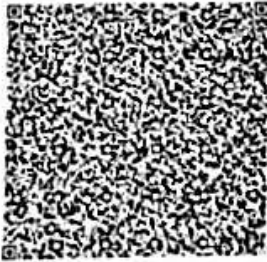
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK42417158695009P
Certificate Issued Date	: 22-Nov-2017 07:03 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1239804/ BAGESHWAR/ UK-BG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK123980485452567592949P
Purchased by	: RAVI NEGI KHANADHIKARI BAGESHWAR
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: RAVI NEGI KHANADHIKARI BAGESHWAR
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: RAVI NEGI KHANADHIKARI BAGESHWAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



.....Please write or type below this line.....

न्यास विलेख

(Signature)

22/11/17



जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद बागेश्वर।

मैं रवि सिंह नेगी पुत्र श्री कुँवर सिंह नेगी, सहायक भू वैज्ञानिक जनपद बागेश्वर बतौर सदस्य सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अधिसूचना संख्या-1621/VII-1-2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के क्रम में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद बागेश्वर के स्थापना करता हूँ। न्यास के शासी परिषद एवं प्रबंधन समित तथा न्यास के उद्देश्य व विनियमन उक्त अधिसूचना के क्रम में निम्नवत् होंगे:-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 है।
- (2) यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
- (3) यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,
(क) 'अधिनियम' से समय-समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है;
(ख) 'प्रभावित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां खनन संक्रिया की जा रही है या जारी हो;
(ग) 'प्रभावित व्यक्ति' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसे खनन से संबंधित क्रियाकलापों द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति की क्षति होती है;
(घ) 'निधि' से न्यास की निधि अभिप्रेत है;
(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
(च) 'परिहार धारकों' से अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञा पत्र के धारक अभिप्रेत हैं;
(छ) 'खनिज और उपखनिज' से ऐसे खनिज अभिप्रेत हैं, जो अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित हैं;
(ज) 'न्यास' से अधिसूचना सं० 1329/VII-1/2017/08ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास अभिप्रेत है;
(झ) 'न्यास विलेख' से राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख अभिप्रेत है;
(ञ) 'न्यास/न्यासीगण' से न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

22/11/17

न्यास के उद्देश्य 3

न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (1) खनन सक्रियताओं या अन्य संबंधित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना;
- (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और
- (3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध 4

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :-

- (1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;
- (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;
- (3) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख) संबंधित मा० सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ग) जिलाधिकारी/कलेक्टर	सदस्य
(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों)	सदस्य
(ङ) मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(च) मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(छ) सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ज) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ) जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(त) खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ) ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट-संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

- (4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा;
- (5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय;
- (6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी।



(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक)	जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (अधिशाली अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छ)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (अधिशाली अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (अधिशाली अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(आठ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (अधिशाली अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(नौ)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(दस)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ग्यारह)	उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी।	सदस्य
(बारह)	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण विभाग, जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(तेरह)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	सदस्य सचिव

(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने में प्रविरत हो जाय।

न्यास के कृत्य

5. (1) नियम 4 में यथाउल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में शासी परिषद की बैठकें संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में की जायेंगी। मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठकें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समय-समय पर, जैसा परिषद ठीक समझे, आयोजित की जायेगी।
- (2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए प्रस्ताव संबंधित विभाग के परामर्श से संबंधित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगा :-
 - (क) क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना उदाहरणार्थ पहुंच मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्डपम्प तथा न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य जन उपयोगी कार्य;
 - (ख) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारों ओर सामान्य वृक्षारोपण;
 - (ग) खनिज विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रिया-कलाप।
- (4) न्यास की बैठक में ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत कर सकता है;



बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 47 वर्ष 2017

Trust (Movable)

Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹ 100.00	प्रतिनिधि शुल्क ₹ 30.00	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क ₹ 280.00	कुल योग ₹ 410.00	शब्द लगभग 3,000
-------------------------------	----------------------------	---	---------------------	--------------------

श्री रवि सिंह नेगी पुत्र श्री कुंवर सिंह नेगी निवासी सहायक भू वैज्ञानिक/ खान अधिकारी जनपद बागेश्वर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास जनपद बागेश्वर ने आज दिनांक 23 Nov 2017 समय मध्य 11AM व 12PM को कार्यालय उपनिबन्धक बागेश्वर में प्रस्तुत किया।



रवि सिंह नेगी

उपनिबन्धक
बागेश्वर
23-Nov-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री रवि सिंह नेगी पुत्र श्री कुंवर सिंह नेगी निवासी सहायक भू वैज्ञानिक/ खान अधिकारी जनपद बागेश्वर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास जनपद बागेश्वर । ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार श्री 00 पुत्र श्री 00 निवासी 00 । ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री कुंदन राम पुत्र श्री पदम् राम निवासी तहसील कैपस बागेश्वर तथा श्री विनोद तिवारी पुत्र श्री गोकुलानंद तिवारी निवासी तहसील कैपस बागेश्वर ने की।

उपनिबन्धक
बागेश्वर
23-Nov-2017



बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 47 वर्ष 2017



रवि सिंह नेगी



कुंदन राम



विनोद तिवारी



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, बागेश्वर
23 Nov 2017

शासी परिषद् की 8. शक्तियां एवं कृत्य

(5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी;

शासी परिषद् निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-

- (1) न्यास की कार्यप्रणाली के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना;
- (2) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्संबंधी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी;

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद् वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तदनुमोदित कारण अभिलिखित करते हुए उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से तैयार एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अर्न्तप्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

- (3) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (4) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।
- (5) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्पत्ति लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद् की 7. बैठक

- (1) शासी परिषद् प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होगा।
- (2) शासी परिषद् की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी।
- (3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई उपस्थिति से होगी।

प्रबन्ध परिषद् की 8. बैठक

किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

प्रबन्ध समिति की 9. शक्तियां और कृत्य

प्रबन्ध समिति :-

- (1) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक् रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;



- (2) अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित खनन पट्टाधारकों से सामयिक अंशदान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;
- (3) न्यास के क्रियाकलापों के लिए महायोजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी;
- (4) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;
- (5) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी;
- (6) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि आहरण-वितरण करेगी;
- (7) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी;
- (8) न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी;
- (9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शास्त्री परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;
- (10) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों;
- (11) न्यास की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु
अंशदान

10.

- (1) मुख्य खनिजों के मामले में :-
 (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन सक्रियायें जारी हों, के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि से अनाधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अधधीन करना होगा;
 (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके परचात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन सक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बधनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिजों के मामले में :-

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 25 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईट भट्टा समाधान रायल्टी 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।
3. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

4. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्टर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुमोदक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
5. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
6. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
7. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
8. खर्च एवं अन्य प्राप्तियां एवं ब्याज से प्राप्त धनराशि या अन्य प्रकरण से प्राप्त धनराशि।
9. न्यास की अन्य द्वारा प्राप्त आय या अन्य प्रकार से प्राप्त आय।
- (3) संबंधित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी न्यास निधि हेतु संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे न्यास द्वारा यथा विनिश्चित किये गये किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में उक्त धनराशि को जमा करना होगा।

न्यास की निधि से व्यय 11. न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा :-
 (1) अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय
 (2) न्यास के प्रशासनिक व्यय पर 05 प्रतिशत

न्यास के लेखा की सम्परीक्षा 12. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास द्वारा अधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वित्तीय की समाप्ति पर की जानी चाहिए। जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाय। न्यास का अपने स्तर से आडिट कराने के साथ ही राज्य सरकार का आडिट कराना भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जन सामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध होनी आवश्यक है।

न्यास का प्रबन्धन 13. न्यास का प्रबन्धन शासी परिषद् में निहित होगा, जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे तथापि न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध, नियम 4 के उप नियम (6) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चय कर सकती है।

न्यासियों के विनिश्चय 14. (1) शासी परिषद् की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।
 (2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।
 (3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान न कर दी जाय तब तक न्यासीकरण को न्यास के विलेख के किसी भाग में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।



- (4) न्यासीगण, शासी परिषद और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्गदर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

न्यास निधि का संचालन

15. न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

न्यास की परिधि

16. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिए प्रोद्भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है :-

- (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास संबंधी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए क्रियान्वित किये जायेंगे।
(ख) खनन वाले जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और
(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान

17. (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु धनराशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 सहपठित अनुसूची V एवं अनुसूची VI के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति लोगों के प्रबंधन हेतु पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र हेतु विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत अधिशासी (वन अधिकार हेतु चिन्हीकरण) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया जाय।

अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत खनन गतिविधि से प्रभावित गांव हेतु :-

ग्राम सभा का अनुमोदन निम्न हेतु आवश्यक है :-

- (क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत समस्त योजनाएं, परियोजना एवं कार्यक्रम हेतु।
(ख) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान जारी दिशा-निर्देश के अनुसार लाभार्थी का चिन्हीकरण।

- (2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रत्येक ग्रामवार प्रगति ग्राम सभा को भेजी जानी है।

(ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जैसा कि पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार) अधिनियम, 1956 (अधिनियम 40 ऑफ 1996) में है।

न्यास निधि के व्यय

18. न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :-
(1) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र - न्यूनतम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित

मदों में किया जायेगा :-

- (क) पेयजल आपूर्ति:- केन्द्रीयकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है;
- (ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:- वहिस्रोत उपचार संयंत्र क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं और भण्डारणों, खान जल निकास प्रणाली, खनन, खान प्रदूषण निवारण तकनीकों के कारण हुए वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिए उपाय तथा पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु अपेक्षित अन्य वायु, जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के अन्य तौर-तरीके;
- (ग) स्वास्थ्य देखभाल:- प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल बल नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी बल दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्यों और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से संबंधित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना को अनिकल्पित करने के लिए ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा सकती है;
- (घ) शिक्षा:- विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से संबंधित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना;
- (ङ) महिला एवं बाल कल्याण:- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे;
- (च) वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों का कल्याण:- वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम;
- (छ) कौशल विकास:- जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जुड़ाव का उपबन्ध सम्मिलित है;



(ज) स्वच्छता:- अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकास और मल उपचार संयंत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित उपबन्ध।

(2) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र:- 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :-

(क) भौतिक अवसंरचना:- अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग संबंधी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण;

(ख) सिंचाई:- सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना;

(ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास:- ऊर्जा एवं वर्षा जल संचायन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास;

(घ) खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय :-

(एक) फाउण्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन सक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास;

(दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय अवसंरचना का सृजन;

(तीन) खनन सक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना;

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना;

परन्तु यह कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की 5 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए व्यय की जा सकेगी।

परन्तु यह और भी कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिए या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिए नहीं किया जायेगा।

- लेखा और संपरीक्षा 19. (1) (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी;
- (दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी;
- (तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद् की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी;
- (चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

- (2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार संपरीक्षक या सम्परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकेगी।
- (3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।
- (4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्परयात् तत्काल संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।
- (5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के परयात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

न्यास को संदेय
धनराशि का
अनुश्रवण

20. (1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्व धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।
- (2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्व धनराशि संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्संबंधी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।
- (3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक
व्यवस्था

21. (1) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।
- (2) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने-अपने संवर्गों में बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।
- (3) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है, जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हों और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकेगा।
- (4) जिला खनिज न्यास संस्थान की प्रशासनिक, सुपरवाइजरी एवं ओवरहैड व्यय आदि पर जो भी व्यय होगा, वो न्यास की वार्षिक अंशदान निधि के 5 प्रतिशत

संस्था

से अधिक नहीं होगा। जिला खनिज संरधान न्यास के लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेंगे। यथा आवश्यकतानुसार पदों/वाहनों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आउटसोर्स और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति आदि की व्यवस्था अपनाई जायेगी। न्यास हेतु वाहन का क्रय यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक प्रकरण में शासन (वित्त विभाग) की सहमति प्राप्त की जायेगी।

- संशोधन** 22. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के अधीन गठित होने वाले न्यास में नहीं किया जायेगा।
- न्यासियों का दायित्व** 23. (1) न्यासीगण सदभावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे।
(2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यागवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के संबंध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे; परन्तु यह कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होंगी।
- पारिश्रमिक** 24. न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
- न्यास की मुहर** 25. न्यासीगण शासी परिषद की बैठक में, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकेंगे और उन्हें समय-समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नयी मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपयोग करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।
- प्रतिसंहरणीयता** 26. यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिश्चित करे। न्यास समाप्त होने की दशा में, न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार में स्वतः निहित/अन्तर्गत हो जायेंगी।

गवाहान.

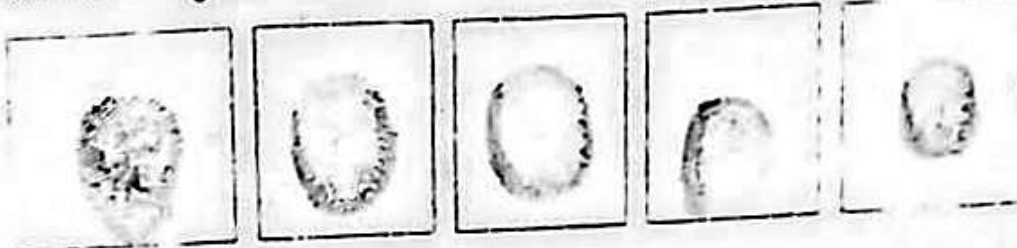
1- कुन्दनशम ९१. श्री फदमशम
निवासी ग्राम डिगरा तहसील
व जिला बागेश्वर

2- विनोद तिवाड़ी ९१. श्री गोकुलानन्द तिवाड़ी
निवासी ग्राम पटियारवाला तहसील व
जिला बागेश्वर

अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान

विक्रेता के हस्ताक्षर/अंगूठा एवं अंगुलियों के निशान

बायें हाथ के अंगुलियों के निशान



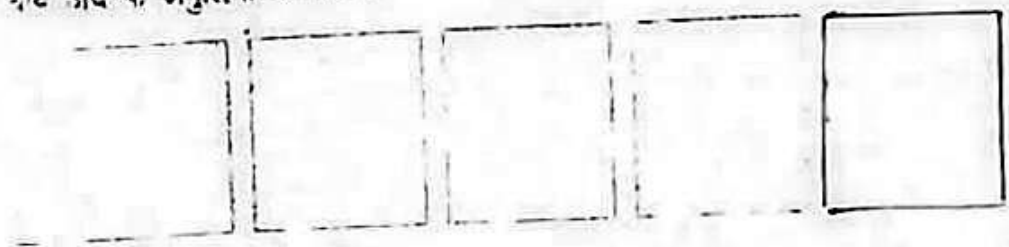
[Handwritten signature]

दायें हाथ के अंगुलियों के निशान

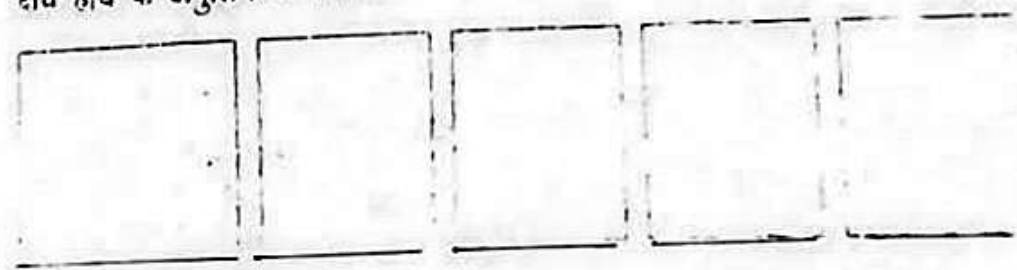


हस्ताक्षर/अंगूठा एवं अंगुलियों के निशान
दायें हाथ के अंगुलियों के निशान

[Handwritten signature]
चन्द्रशेखर मिश्रा एडवोकेट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश गफोरपुर



बायें हाथ के अंगुलियों के निशान



बही संख्या 4 जिल्द 11 के पृष्ठ 53 से 80 पर क्रमांक 47

पर आज दिनांक 23 Nov 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, बागेश्वर
23 Nov 2017

